

फर्द अहकाम

(नियम 26)

उच्च अदालत उपखण्ड अधिकारी, माण्डल

श्रीमती च.माला देवी - बनाम श्रीमती क.चोपड़ा देवी (पेश)

फिरस मुकदमा प्रा-पत्र 111-128 नं० 189 सन 2020

दिनांक	हुकम या कार्रवाही तथा इनिशियल्स उच्च	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
-11-20	<p>बाद / पार्श्वनापत्र बाद जॉच प्रस्तुत हुआ दर्ज रजिस्टर किया जाकर सिपहीगण को सम्मन नोटिस जारी किये जायें । पत्रावली दिनांक 10.12.20 को पेश हो।</p> <p>उपखण्ड अधिकारी एवं साहायक कलक्टर माण्डल</p>	
10-12-20	<p>उपखण्ड उच्च अदालत के अधिकारी द्वारा हुकम कार्य में बाध हो। पत्रावली दिनांक 22.12.20 को पेश हो।</p>	
24-12-20	<p>पत्रावली पेश हुई, अभिभाषण द्वारा न्यायिक कार्य को रोक कर रखने से पत्रावली दिनांक 24.12.20 को पेश हो।</p>	
29.12	<p>पत्रावली पेश हुई, वकील पार्श्विया उपस्थित, अप्राप्यगण के सम्मन बाद तामिल होकर प्राप्त हुए जिसे शां पत्र किये गये। तहसीलदार माण्डल परतार हल्का माण्डल परिवारी द्वारा गांका रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसे शामिल पत्रावली दिया गया। अप्राप्यगण को कितनी मर्तवा आवाजे दिलायी जाने उपरान्त भी उपस्थित नहीं, इनके बिकर एक तरफा कार्यवाही किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। वकील पार्श्विया का पार्श्वना पत्र स्वीकार किया जाकर निर्णय पत्रक से लिखा जाकर शामिल पत्रावली दिया गया। पत्रावली फेराल शुमार लेकर नम्बर से हो।</p>	<p>उपखण्ड अधिकारी माण्डल जिला भीलवाड़ा</p>

